HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1420/2026

Surajmal Yogi S/o Prabhudayal Yogi, Aged About 40 Years, R/o Village Khawarani Ji, Police Station Jamwaramgarh, Jaipur Rural. (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Jaipur).

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajani Kant Tijara Mr. Arun Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Keshav Kumar Agrawal

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना चौमू जिला जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 695/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने फर्जी पट्टा जारी नहीं किया है, उससे कोई बरामदगी की जानी शेष नहीं है। प्रथम सूचना संख्या में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं है, न ही उसे प्लॉट का बेचान किया है, न ही उसने रुपयों का लेन–देन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भूखंड बेचान के नाम पर धोखाधड़ी कर कूटरचित पट्टे जारी कर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत परिवादी से 11,54,000/– रुपए हड़प कर छल कारित करने के अपराध का आरोप है और जो विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है, उसमें मुकेश के नाम से प्रार्थी/अभियुक्त ने हस्ताक्षर किए हैं, उसके विरुद्ध पूर्व में 2 आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट में सहअभियुक्त राजेन्द्र कुमार बुनकर द्वारा परिवादी को फर्जी पट्टा बेचान कर 11,54,000/– रुपए नगद प्राप्त किए जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी को भूखंड बेचा गया हो ऐसा कोई आरोप नहीं है। विक्रय पत्र में मुकेश के नाम से प्रार्थी/अभियुक्त ने हस्ताक्षर किए हों, इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित Prabhakar Tewari vs The State Of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 आदेश दिनांक 24.01.2020 में अभिनिर्धारित सिद्धांत के आधार पर अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने मात्र से प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सूरजमल योगी पुत्र प्रभुदयाल योगी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /121